

उत्तर प्रदेश सरकार विधायी अनुभाग–1

संख्या 2899 / सत्रह—वि0—1—1 (क) — 8—1983 लखनऊ, 13 अक्टूबर, 1983 <u>अधिसूचना</u>*

विविध

"भारत के संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर विधेयक, 1983 पर दिनांक 12 अक्टूबर, 1983 ई० को अनुमित प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1983 के रूप में सर्वसाधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम, 1983^{*}

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1983) (जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी और उसके विन्यास के समुचित और अधिक अच्छे प्रशासन और उससे सम्बद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है -

अध्याय – एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

- 1— (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर अधिनियम, 1983 कहा जायेगा।
 - (2) यह 28 जनवरी, 1983 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।
 - * नोट— जैसा कि अधिनियम दिनांक-13 जनवरी, 1984, दिनांक-5 दिसम्बर,1986 दिनांक-2 फरवरी, 1987, दिनांक-6 अक्टूबर,1989, दिनांक-16 अगस्त, 1997, दिनांक-13 मार्च, 2003 तथा दिनांक-28 मार्च, 2013 द्वारा समय-समय पर हुए संशोधनानुसार संशोधित किया गया।

(यथा संशोधित)

अधिनियम का 2— अध्यारोही प्रभाव इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या प्रथा या रूढ़ि, संविदा, विलेख या प्रलेख, किसी न्यायालय के निर्णय, डिग्री या आदेश या किसी न्यायालय द्वारा निश्चित की गयी किसी स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

अधिनियम के अधीन 3— कार्य करने वाले हिन्दू होंगे कोई व्यक्ति, जब तक वह हिन्दू धर्मावलम्बी न हो, न्यास—परिषद् या कार्यपालक समिति के सदस्य या मुख्य कार्यपालक अधिकारी या मन्दिर के किसी कर्मचारी के रूप में होने या रहने के लिये पात्र नहीं होगा और जब कोई व्यक्ति हिन्दू न रह जाय तब वह उस पद पर न रह जायेगा और उस रूप में किसी शक्ति का प्रयोग या किसी कृत्य का निर्वहन करना बन्द कर देगा।

4— इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो-

- (1) "नियत दिनांक" का तात्पर्य ऐसे दिनांक से है जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे;
- (2) "अर्चक" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो मन्दिर से किसी पूजा, सेवा, कर्मकाण्ड या अन्य धार्मिक अनुष्ठान का सम्पादन या संचालन करता है और उसमें पुजारी, पंडा, पुरोहित या सेवक भी सम्मिलित हैं;
- (3) "न्यास परिषद्" का तात्पर्य धारा 6 के अधीन गठित न्यास परिषद् से है;
- (4) "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" का तात्पर्य धारा (16) के अधीन नियुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी से है;
- (5) "विन्यास" का तात्पर्य समस्त स्थावर या जंगम सम्पत्ति से है जो मन्दिर की हो या उसके अनुपोषण या अनुरक्षण या सुधार के लिये या मन्दिर में किसी पूजा, सेवा, कर्मकांड, समारोह या अन्य धार्मिक अनुष्ठान के लिये या उससे सम्बन्धित किसी दान के लिए दी या अर्पित की गयी हो और उसमें मन्दिर में प्रतिष्ठित देव प्रतिमाएं, मन्दिर का परिसर और मन्दिर की सीमा के भीतर किसी व्यक्ति को मन्दिर या उसमें प्रतिष्ठित देव प्रतिमाओं के लिये दिया गया या देने के लिए आशयित सम्पत्ति का दान भी सम्मिलित है;

- (6) "कार्यपालक समिति" का तात्पर्य धारा 19 के अधीन गठित कार्यपालक समिति से है;
- (7) "विहित" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों या जारी किये गये अधिसूचित आदेश द्वारा विहित से है:
- (8) "धर्मार्थ अर्पण" का तात्पर्य मन्दिर की सीमाओं के भीतर या अन्यत्र द्रव्य या पदार्थ के ऐसे अर्पण से है, जो मन्दिर में किसी पूजा, सेवा, कर्मकांड, समारोह या धार्मिक अनुष्ठान के सम्पादन या संचालन से सम्बद्ध हो और उसमें डाक या तार से भेजा गया धन या चेक या बैंक ड्राफ्ट भी सम्मिलत है जिसका अभिप्राय या आशय यह हो कि उसका वैसा उपयोग मन्दिर में किया जाय:
- (9) "मन्दिर" का तात्पर्य वाराणसी नगर में स्थित आदि विश्वेश्वर के मन्दिर से है, जो श्री "काशी विश्वनाथ मन्दिर" के नाम से विख्यात है और सार्वजनिक धार्मिक पूजा स्थल के रूप में उपयोग में लाया जाता है और हिन्दू मात्र के लिये समर्पित या उनके लाभार्थ है या ज्योतिर्लिंग के साधिकार सार्वजनिक धार्मिक पूजा स्थल के रूप में उपयोग में लाया जाता है और उसमें समस्त गौण मन्दिर, उपासना स्थल, गौण उपासना स्थल और समस्त अन्य देव प्रतिमाओं के स्थान मंडप, कूप, जलाशय और अन्य आवश्यक निर्माण और उससे सम्बद्ध भूमि और नियत दिनांक के बाद उसमें जो परिवर्धन किया जाय वह भी सम्मिलित है;
 - (10) "मन्दिर निधि" का तात्पर्य धारा 23 के अधीन गठित मन्दिर निधि से है।

अध्याय – दो न्यास परिषद्

मंदिर और उसके 5— मन्दिर और उसका विन्यास श्री काशी विश्वनाथ के विग्रह में विहित होगा। विन्यास का विहित होना

न्यास परिषद् का 6—(1) नियत दिनांक से मन्दिर और उसके विन्यास का शासन और प्रशासन गठन न्यास परिषद् में निहित होगा जिसे श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर न्यास परिषद् कहा जायेगा।

- (2) न्यास परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् —
- 1"(क) न्यास परिषद् का अध्यक्ष एक ऐसा गैर सरकारी हिन्दू होगा, जो धर्मशास्त्र में निष्णात हो और श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर के कार्यकलापों के प्रबंध और प्रशासन का और उसमें की जाने वाली पूजा, सेवा, कर्मकाण्ड या धार्मिक अनुष्ठान का अच्छा ज्ञान और अनुभव रखता हो, जिसे राज्य सरकार द्वारा नाम—निर्दिष्ट किया जायेगा।"
 - (ख) श्री जगत गुरु शंकराचार्य, शृंगेरी;
 - (ग) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, सांस्कृतिक कार्य विभाग -पदेन:
 - (घ) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग पदेन;
- 2"(ङ) सचिव, और उनकी अनुपस्थिति में विशेष सचिव यदि कोई हो उत्तर प्रदेश सरकार धर्मार्थ कार्य विभाग—पदेन।"
 - (च) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, न्याय, विधायी विभाग, चक्रानुक्रम में ऐसी रीति से जो विहित की जाय — पदेन;
- *(छ) निदेशक, सांस्कृतिक कार्य, उत्तर प्रदेश पदेन;
 - (ज) आयुक्त्, वाराणसी मण्डल, पदेन;
- (झ) जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी पदेन;
- (ञ) कुलपति, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी पदेन;
- (ट) दो ऐसे स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्ति जो मन्दिर के कार्यकलापों के प्रबन्ध और प्रशासन का और उसमें की जाने वाली पूजा, सेवा, कर्मकाण्ड या धार्मिक अनुष्ठान का अच्छा ज्ञान और अनुभव रखते हों, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नाम—निर्दिष्ट किया जायेगा;
- (ठ) हिन्दू धर्मशास्त्र में निष्णात तीन प्रख्यात हिन्दू विद्वान जो राज्य सरकार द्वारा नाम—निर्दिष्ट किये जायेंगे।

**

- 1- उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर (संशोधन) अधिनियम अधिनियम्, 2003 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2003) द्वारा प्रतिस्थापित
- 2- उत्तर प्रदेश श्रीकाशी विश्वनाथ (संशोधन) अधिनियम 1986 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1986) द्वारा प्रतिस्थापित
- नोट- ^{*}लोप करके पढ़ा जाय, और पश्चातवर्ती खण्डों के संख्यांकन कोष्ठक तथा अक्षर "(ज)","(झ)", "(ञ)","(ट)" तथा "(ठ)" के स्थान पर क्रमशः कोष्ठक तथा अक्षर "(छ)", "ज", "झ", "ज", तथा "(ट)" पढे जांय। (यह संशोधन अधिसूचना दिनांक 13-1-1984 द्वारा किया गया।)

13-1-1984 द्वारा किया गया।

"धारा—(6) की उपधारा (2) में खण्ड (ट) के पश्चात खण्ड (ठ) मुख्य कार्यपालक अधिकारी————— पदेन बढ़ा हुआ पढ़ा जाय। (यह संशोधन अधिसूचना दिनांक 06 अक्टूबर, 1989 द्वारा किया गया।)

- (3) यदि न्यास परिषद् का कोई सदस्य तदैव अपने कर्तव्य का पालन इस तथ्य के कारण नहीं कर सकता है कि वह हिन्दू नहीं है तो इस निमित्त उसके अधीनस्थ जो निकटतम व्यक्ति उपलब्ध हो, वह समय विशेष पर न्यास परिषद् का सदस्य होगा।
- (4) न्यास परिषद् निगमित निकाय होगी जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उपरोक्त नाम से जो वाद प्रस्तुत कर सकता है या जिसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकता है।
- (5) न्यास परिषद् का गठन और उसमें प्रत्येक परिवर्तन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायेगा।

पदावधि

7- (1)— न्यास परिषद् के पदेन सदस्य से भिन्न "अध्यक्ष या कोई सदस्य" अपने नाम—निर्देशन की अधिसूचना के दिनांक से तीन वर्ष की अविध के लिये पद धारण करेगा;

परन्तु धारा ६ की उपधारा (२) के ^२(***) खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट सदस्य अपने जीवन—पर्यन्त पद धारण करेगा;

परन्तु यह और भी कि कोई सदस्य पुनः नाम निर्देशन के लिये पात्र होगा।

(2)— न्यास परिषद के "'अध्यक्ष या किसी सदस्य" के पद में आकिस्मिक रिक्ति को जो मृत्यु, पद त्याग, हटाये जाने के कारण या अन्यथा हो, पूर्ति उसी रीति से की जायेगी जैसी धारा 6 में विनिर्दिष्ट है।

न्यास परिषद् के किसी सदस्य को हटाने के लिये राज्य सरकार की शक्ति

8-

"(1) राज्य सरकार न्यास परिषद् के अध्यक्ष या किसी सदस्य को जो पदेन सदस्य से भिन्न हो, अयोग्यता या दुराचार के आधार पर हटा सकती है।

- उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) अधिनियम 2003
 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-3 सन् 2003) द्वारा अंतः स्थापित
- 2- उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) अधिनियम 2003 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–3 सन् 2003) द्वारा विलोपित
- 3- उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) अधिनियम 2003 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-3 सन् 2003) द्वारा अंतः स्थापित
- 4- उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) अधिनियम 2003 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-3 सन् 2003) द्वारा प्रतिस्थापित

- (2) न्यास परिषद् का अध्यक्ष या कोई सदस्य इस धारा के अधीन तब तक नहीं हटाया जायेगा जब तक उसे अपने हटाये जाने के विरुद्ध कारण दर्शित करने का युक्तिसंगत अवसर न दे दिया जाए;
- (3) इस धारा के अधीन राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायेगी।

न्यास परिषद् की 9— बैठक

- (1) न्यास परिषद् की बैठक सामान्यतया प्रत्येक तिमाही में एक बार हो ऐसे दिनांक को और ऐसे समय और स्थान पर होगी जिसे न्यास परिषद् के द्वारा अवधारित किया जाय या, यथास्थिति, अध्यक्ष के द्वारा निदेशित किया जाय।
- (2) न्यास परिषद् की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में ऐसा सदस्य करेगा जिसे न्यास परिषद् द्वारा अवधारित किया जाय।
- '"(3) धारा 6 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट सदस्य, किसी व्यक्ति को जो हिन्दू हो, ऐसी बैठक में उपस्थित होने के लिये लिखित रूप में प्राधिकृत कर सकता है और उक्त उपधारा के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) या (ङ) या खण्ड (च) में विनिर्दिष्ट सदस्य, यदि वह न्यास परिषद् की किसी बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो वह इसी प्रकार किसी अधिकारी को जो उसके विभाग में संयुक्त सचिव से निम्न पद का न हो, ऐसी बैठक में उपस्थित होने के लिए प्राधिकृत कर सकता है और इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति या अधिकारी को बैठक की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा और मत देने का भी अधिकार होगा।

¹⁻अधिसूचना दिनांक 06-10-1989 द्वारा संशोधित।

- (4) न्यास परिषद् की किसी बैठक में कोई कार्य तब तक सम्पादित नहीं किया जायेगा, जब तक कम से कम पांच सदस्य जिसके अन्तर्गत उपधारा (3) के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति या अधिकारी भी है, उपस्थित न हों।
- (5) न्यास परिषद् कार्य—सम्पादन के लिये किसी ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगी जैसी विनियमों द्वारा अवधारित की जाय।
- (6) न्यास परिषद् की किसी बैठक में उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्न उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से निर्णीत किये जायेंगे और मत बराबर होने पर अध्यक्ष निर्णायक मत देगा।
- (7) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जो न्यास परिषद् का सचिव होगा, न्यास परिषद् के कार्यवाही वृत्त के सम्यक् अभिलेख और अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी होगा और कार्यवृत्त की एक प्रति राज्य सरकार को सूचनार्थ प्रेषित करेगा।

न्यास परिषद् के कार्य 10— और कार्यवाही का अधिप्रमाणी–करण न्यास परिषद् के समस्त आदेश और विनिश्चय और न्यास परिषद् के कार्य और कार्यवाही के अभिलेख को अध्यक्ष के हस्ताक्षर से या यदि न्यास परिषद् ऐसा प्राधिकृत करे तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी के हस्ताक्षर से अभिप्रमाणित किया जायेगा।

रिक्ति होने पर भी न्यास परिषद् के कार्य करने की शक्ति ' 11— न्यास परिषद् का कोई कार्य या कार्यवाही न्यास परिषद् के गठन में किसी रिक्ति या त्रुटि होने के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

न्यास परिषद् के सदस्यों को मत्ता 12— राज्य सरकार, आदेश द्वारा, समय–समय पर न्यास परिषद् के अध्यक्ष या सदस्यों को ऐसे भत्ते ऐसी रीति से और ऐसे समय पर मन्दिर निधि से दिये जाने के लिये निदेश दे सकती है जैसी वह अवधारित करे।

न्यास परिषद् का मन्दिर और उसकी सम्पत्ति पर कब्जा

- 13— (1) न्यास परिषद् मन्दिर और उसके विन्यास की या उसकी अंगीभूत समस्त जंगम और स्थावर सम्पत्ति, द्रव्य, मूल्यवान वस्तु, आभूषण, अभिलेख, दस्तावेज, भौतिक पदार्थ और अन्य आस्तियों का कब्जा लेने और रखने का हकदार होगी।
 - (2) प्रत्येक व्यक्ति जिसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में यथा उपरोक्त कोई ऐसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति, द्रव्य, मूल्यवान वस्तु, आभूषण, अभिलेख, दस्तावेज, भौतिक पदार्थ या अन्य आस्तियां हैं, इस अधिनियम के अधीन अपेक्षा किये जाने पर उसे मुख्य कार्यपालक अधिकारी के समक्ष न्यायोचित अपवादों के अधीन रखते हुए, प्रस्तुत करेगा और देगा।

न्यास परिषद् के कर्त्तव्य

- 14— इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, न्यास परिषद् का यह कर्त्तव्य होगा कि:-
 - (क) मन्दिर में श्री काशी विश्वनाथ और अन्य विग्रहों को दैनिक या सावधिक, सामान्य या विशेष, पूजा, सेवा और कर्मकांड, समारोह और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के हिन्दू शास्त्रों और धर्म ग्रन्थों और प्रथा के अनुसार सम्यक् और उचित सम्पादन की व्यवस्था करे;
 - (ख) मन्दिर में सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार जिसमें प्रकाश व्यवस्था, स्वास्थ्यप्रद वातावरण और समुचित स्तर की स्वच्छता भी सम्मिलित है, उसका अनुरक्षण सुनिश्चित करे;
 - (ग) मन्दिर की निधि, द्रव्य, मूल्यवान वस्तु, आभूषण और अन्य सम्पत्ति की निरापद अभिरक्षा सुनिश्चित करे;
 - (घ) मन्दिर की सम्पत्ति और ऐहिक कार्यों के परिरक्षण और प्रबन्ध के लिये पर्याप्त व्यवस्था करें;

- (ङ) विन्यास निधि का व्यय दानकर्ताओं की इच्छा जहां तक उसकी जानकारी हो या निश्चित रूप से की जा सके, उसके अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें;
- (च) तीर्थ यात्रियों और पूजा करने वालों द्वारा उचित ढंग से पूजा किये जाने के लिये सुविधाओं की व्यवस्था करें;
- (छ) तीर्थ यात्रियों और पूजा करने वालों की सुविधा और चिकित्सा सम्बन्धी सहायता के लिये व्यवस्था करे;
- (ज) तीर्थ यात्रियों और पूजा करने वालों के लाभार्थ निम्नलिखित कार्य करें—
 - (एक) उनके आवास के लिये भवनों का निर्माण;
 - (दो) सफाई सम्बन्धी निर्माण कार्य;
 - (तीन) संचार साधनों में सुधार;
 - (चार) ऐसे अन्य विषय जो विहित किये जाये;
- (झ) वेतन भोगी कर्मचारियों को उपयुक्त परिलिब्धियों के भुगतान की व्यवस्था करे;
- "(ञ) मन्दिर के चढ़ावे में प्राप्त बेलपत्र आदि से बने भस्म श्रद्धालुओं में निःशूल्क वितरित करें;
- (ट) वैदिक संस्कृति से सम्बन्धित शोध करें, शोध से सम्बन्धित सुअवसर प्रदान करें, निःशुल्क शोध केन्द्र स्थापित करें, निःशुल्क शिक्षण कक्षाएँ आयोजित करें, वैदिक संस्कृति को तकनीकी शिक्षा से समन्वित करने के लिए निःशुल्क तकनीकी शिक्षा स्थापित करें और रोजगार के लिए सुअवसर सुलभ कराये, समान उद्देशीय संगठनों की सहायता से समाज के लिए कल्याणकारी योजनाएं आरम्भ करें, एवं वैदिक संस्कृति की शिक्षा हेतु विद्यालय खोलें;

¹⁻उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१३ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—12 सन् २०१३) द्वारा प्रतिस्थापित।

- (ठ) निर्धन, निर्बल तथा असहाय श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क चिकित्सा केन्द्र खोलें और उसकी व्यवस्था करें;
- (ड) श्रद्धालुओं के लिए नि:शुल्क अन्नक्षेत्र की सुविधा सुलभ कराए;
- (ढ) श्रद्धालुओं के लिए धर्मशालाएं खोलें एवं नि:शुल्क उपलब्ध करायें और नि:शुल्क ठहरने की व्यवस्था करें तथा वैदिक संस्कृति और तकनीकी शिक्षा से सम्बन्धित शोध केन्द्रों की स्थापना करे;
- (ण) श्रद्धालुओं में निःशुल्क प्रसाद वितरण की व्यवस्था करे, चढ़ावे में प्राप्त वस्त्रादि एवं अन्य सामग्री को निर्धन और असहाय लोगों में वितरित करें;
- (त) न्यास और समय—समय पर आयोजित संगोष्ठियों एवं बैठकों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जनजागरण हेतु पत्रिकाओं का प्रकाशन एवं नि:शुल्क वितरण करे;
- (थ) ऐसे सभी अन्य कार्य करें जो मन्दिर और उसके विन्यास के कार्यकलापों के कुशल प्रबन्धन और तीर्थ यात्रियों और पुजारियों की सुविधा के लिए आनुषंगिक और सहायक हों।"
- न्यास परिषद् समस्त ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी जो इस अधिनियम के अधीन उसके कर्तव्यों और कृत्यों के पालन के लिए आवश्यक या आनुषंगिक हों और विशेष रूप से उसे यह शक्ति होगी कि—
- (क) मन्दिर में किसी पूजा, सेवा, कर्मकांड, समारोह या धार्मिक अनुष्ठान के सम्पादन के लिये फीस निर्धारित करे;
- (ख) ऐसी सूचना और लेखा की मांग करे जो उसकी राय में यह उसका समााधान करने के लिये आवश्यक है कि मन्दिर और उसके विन्यास का अनुरक्षण और प्रशासन उचित रीति से किया जा रहा है और उसकी निधि का विनियोग उन प्रयोजनों के लिये हो रहा है जिनके लिये उनका अस्तित्व है या उनकी स्थापना की गयी थी;
- (ग) मन्दिर के परिसर के भीतर और मन्दिर के ऐसे क्षेत्र में जो इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाय, निम्नलिखित को प्रतिषिद्ध करें-

न्यास परिषद् की शक्ति

15.

- (एक) किसी मादक पेय या औषधि का विक्रय, कब्जा, उपयोग या उपभोग:
- (दो) मांस या मांसयुक्त किसी खाद्य पदार्थ का विक्रय, कब्जा, बनाया जाना या उपभोग:
- (तीन) किसी पशु या पक्षी का किसी प्रयोजन के लिये वध करना या उसकी जान लेना या उसे विकलांग करना;
- (चार) ताश, पाशा, चौपड़, रुपया या जुआ खेलने के लिये किसी अन्य उपकरण से जुआ खेलना;
- (घ) ऐसी अन्य बातों को करना या करने के लिये निदेश देना जो विहित की जाय।

अध्याय – तीन

मन्दिर अधिष्ठान

- मन्दिर के अधिकारी ¹¹16— (1) राज्य सरकार मन्दिर के लिए एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी और ऐसे अन्य अधिकारी या अधिकारियों को जैसा वह आवश्यक समझती है, नियुक्त कर सकती है।
 - (2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारियों की सेवा की शर्तों, जिसमें नियुक्ति के लिए अर्हताएं और उन्हें देय वेतन और भत्ते भी सम्मिलित हैं ऐसे होंगे जैसे राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें, परन्तु वेतन और सेवा की अन्य शर्तों के बारे में ऐसे अधिकारियों के अधिकार उनके नियुक्ति के पश्चात् इस प्रकार परिवर्तित नहीं किये जायेंगे कि उसके लिए अलाभकर हों।"

मुख्य कार्यपालक 1 अधिकारी की शक्ति और कर्त्तव्य (1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी मन्दिर का प्रमुख कार्यपालक अधिकारी होगा और न्यास परिषद् के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, मन्दिर के ऐहिक कार्य और उसके विन्यास के प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी होगा।

> 1–उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (संशोधन) अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—15 सन् 1997) द्वारा प्रतिस्थापित।

(2) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, मुख्य कार्यपालक अधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि-

(क) न्यास परिषद् और कार्यपालक समिति के विनिश्चय और आदेश को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कार्यान्वित करे;

(ख) मन्दिर में धर्मार्थ अर्पण के उचित संग्रह, अनुरक्षण और निस्तारण की व्यवस्था करें और उसका पूर्ण और उचित लेखा रखे;

(ग) मन्दिर के समस्त अभिलेख, आभूषण, मूल्यवान वस्तु, धन, मूल्यवान प्रतिभूति और सम्पत्ति की अभिरक्षा और उनके परिरक्षण और अनुरक्षण के लिए उपयुक्त व्यवस्था करे।

(घ) न्यास परिषद् के कार्यवाही— वृत्त का अभिलेख रखें और अनुरक्षण करें;

(ङ) ऐसे निर्माण— कार्य या आपूर्ति के लिए टेन्डर मांगे और टेन्डर को स्वीकार करे जिसका मूल्य या धनराशि पांच हजार रुपये से अधिक न हो;

(च) मन्दिर के कर्मचारियों पर नियंत्रण रखे और अनुशासन भंग के मामलों में उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही करे;

(छ) ऐसी अन्य सभी बातें करे जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन आरोपित उसके कर्त्तव्यों के सम्यक् पालन के लिए अपेक्षित हों। आपात काल में 18— मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्ति

- (1) आपातकाल में मुख्य कार्यपालक अधिकारी किसी कार्य के निष्पादन या किसी बात के लिये किये जाने के लिये निदेश दे सकता है जो उस वर्ष के बजट में उपबन्धित नहीं है या तो उसकी राय में मन्दिर या उसके विन्यास के परिरक्षण के लिये या मन्दिर में आने—जाने वाले तीर्थ—यात्रियों या पूजा करने वालों के स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा के लिये या मन्दिर में पूजा, सेवा, कर्मकांड, समारोह या अनुष्ठान के सम्यक् सम्पादन के लिये तुरन्त आवश्यक और अपरिहार्य है और यह भी निदेश दे सकता है कि ऐसे कार्य के निष्पादन या ऐसी बात के किये जाने के खर्च का भुगतान मन्दिर निधि से किया जायगा।
- (2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी इस धारा के अधीन किये गये कार्य की आख्या, न्यास परिषद् और कार्यपालक समिति को तुरन्त देगा और उस कार्य के कारणों को भी बतायेगा और तत्पश्चात् कार्यपालक समिति की संस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, न्यास परिषद् ऐसी कार्यवाही करेगी जैसी वह उचित समझे।

कार्यपालक समिति 19—

(1) एक कार्यपालक समिति होगी जो न्यास परिषद् या राज्य सरकार के निदेशों के अधीन रहते हुए, मन्दिर के कार्यों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के लिये उत्तरदायी होगी।

(2) कार्यपालक समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :--

(क) आयुक्त, वाराणसी मण्डल — सभापति

(ख) जिला मजिस्टट्रेट, वाराणसी — सदस्य

(ग) ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी — सदस्य

(घ) प्रशासक / मुख्य नगर अधिकारी, वाराणसी — सदस्य

(ङ) धारा 6 की उपधारा (2) के खण्ड (ट) के विनिर्दिष्ट न्यास परिषद के सदस्य

(च) मुख्य कार्यपालक अधिकारी — सदस्य सचिव।

"ट" के स्थान पर कोष्टक तथा अक्षर "ज" पढ़ा जाय (अधिसूचना दिनांक 13 जनवरी, 1984 द्वारा संशोधित)

सदस्य पदेन

- (3) यदि कार्यपालक समिति का कोई सदस्य तदैव अपना कर्त्तव्य इस तथ्य के कारण सम्पादित नहीं कर सकता कि वह हिन्दू नहीं है तो इस निमित्त उसके अधीन उपलब्ध निकटतम व्यक्ति समिति में कार्य करेगा।
- (4) कार्यपालक समिति को किसी अन्य उपयुक्त व्यक्ति को जिनकी संख्या दो से अधिक नहीं होगी, सदस्य के रूप में अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये सहयोजित करने की शक्ति होगी।
- (5) कार्यपालक समिति ऐसी शक्ति का प्रयोग और ऐसे कृत्य का सम्पादन करेगी जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उसे प्रदान किये जाय, या न्यास परिषद् के द्वारा उसे सौंपे जाये।

मंदिर के वर्तमान 20— कर्मचारियों के बारे में उपबन्ध

- (1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी यथाशीघ्र एक अनुसूची तैयार करेगा जिसमें मन्दिर के अधिष्ठान में सम्मिलित व्यक्तियों के पंदनाम, कोटिक्रम और कर्त्तव्य का उल्लेख होगा।
- (2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुसूची को तैयार करते समय मुख्य कार्यपालक अधिकारी किसी हित की, जिसका दावा कोई व्यक्ति करे, प्रकृति के सम्बन्ध में किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिग्री या आदेश को या मन्दिर सम्बन्धी किसी प्रथा या रूढ़ि को मान्यता देगा और कार्यान्वित करेगा।
- (3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुसूची उन प्रस्तावों सहित जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को देय वेतन या भत्तों के बारे में मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा रखे जायें, न्यास परिषद् को प्रस्तुत किये जायेंगे और ऐसी अनुसूची न्यास परिषद् द्वारा उसमें किये गये किसी परिवर्तन या उपान्तर के अधीन रहते हुए, अनुमोदित किये जाने पर प्रवृत्त होगी और ऐसे व्यक्ति सेवायोजन की ऐसी शर्तों के हकदार होंगे जो विहित की जाये।

मन्दिर के कर्मचारी 21—

(1) इस निमित्त बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, न्यास परिषद् या यथास्थिति, मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसे कर्मचारियों को ऐसे पदनाम सहित जैसा विहित किया जाय, नियुक्त कर सकता है और उनको ऐसी शक्ति और ऐसे कृत्य सौंप सकता है जो इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझे जायें।

- (2) कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्ते के हकदार होंगे और वे ऐसी सेवा शर्तों से जिनमें अर्हता और भर्ती की प्रणाली की शर्तों भी सम्मिलित हैं, नियंत्रित होंगे जैसी विहित की जायें।
- (3) कोई कर्मचारी सेवा से तब तक नहीं हटाया जायंगा जब तक उसे सुनवाई का युक्तिसंगत अवसर न दिया गया हो।

अर्चक

- 22— (1) मन्दिर से सम्बद्ध या उसमें सेवारत प्रतयेक अर्चक मन्दिर में पूजा, सेवा, कर्मकांड, समारोह और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के लिये और उससे सम्बद्ध अन्य सामान्य या विशेष दैनिक या सावधिक सेवा के उचित सम्पादन और संचालन के लिये उत्तरदायी होगा और न्यास परिषद् या कार्यपालक सिमिति या मुख्य कार्यपालक अधिकारी या मन्दिर का कोई अन्य कर्मचारी अर्चक के तदैव कर्त्तव्यों के निर्वहन में हस्तक्षेप नहीं करेगा।
 - (2) अर्चक अपनी सेवाओं के लिये ऐसे पारिश्रमिक का हकदार होगा जो उसके और न्यास परिषद् के बीच अनुबन्धित हों, और ऐसे अनुबन्ध के अभाव में इस निमित्त बनाये गये नियमों के अनुसार अवधारित हो और किसी अन्य परिदेय या परिलब्धि का हकदार नहीं होगा सिवाय उसके जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अनुज्ञात हो।

अध्याय – चार

सम्पत्ति और लेखा

मंदिर निधि

- 23— (1) "श्री काशी विश्वनाथ मंदिर निधि" के नाम से एक निधि का गठन किया जायेगा जो न्यास परिषद् में निहित होगा और जिसका प्रशासन उसके द्वारा किया जायेगा और उस निधि में निम्नलिखित सम्मिलित होगा, अर्थात्—
 - (क) मंदिर की जंगम और स्थावर सम्पत्ति से प्राप्त आय;
 - (ख) श्री काशी विश्वनाथ के विग्रह या मन्दिर में किसी अन्य विग्रह को प्रदत्त या प्रदत्त करने के लिये आशयित धर्मार्थ अर्पण,

- (ग) राज्य सरकार द्वारा अनुदान या ऋण के रूप में कोई अंशदान;
- (घ) मन्दिर में या उसके लिये किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया कोई दान या पुण्यार्थ दान;
- (ड) जनता, स्थानीय प्राधिकारी या संस्था द्वारा दिया गया कोई अन्य उपहार या अंशदान;
- (च) इस अधिनियम के अधीन आरोपित सभी जुर्माना और शास्ति;
- (छ) इस अधिनियम के अधीन सभी वसूली।
- (2) मन्दिर निधि का उपयोग इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित या अनुज्ञात प्रयोजनों के लिये किया जायेगा।
- "(3) देव प्रतिमाओं, न्यास परिषद् या मन्दिर निधि को देय कोई विनिश्चित धनराशि, वसूली की किसी अन्य उपलब्ध रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के प्रमाण-पत्र पर, भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जा सकेगी।"

कर्मकाण्ड या समारोह हेतु व्ययमान का निर्धारण

- 24— (1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियत दिनांक से तीन मास के भीतर मन्दिर हेतु व्ययमान और मन्दिर से सम्बद्ध विभिन्न उद्देश्यों के लिये आवंटनीय धनराशि के निर्धारण के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।
 - (2) ऐसे प्रस्ताव अर्चकों से परामर्श के पश्चात् और अर्पण की प्रथा के अनुसार या अन्यथा पूजा या अर्पण की सामान्य या विशेष, दैनिक या सावधिक सेवा, कर्मकाण्ड, समारोह या अन्य धार्मिक अनुष्ठान से सम्बन्धित अपेक्षाओं का सम्यक् ध्यान रखते हुए तैयार किया जायेगा।
 - (3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रस्ताव ऐसे प्रपन्न में और ऐसी रीति से न्यास परिषद् को प्रस्तत किये जायेंगे, जो विहित किये जाय।

¹⁻ अधिस्चना दिनांक 06-10-1989 स्थापित।

- (4) न्यास परिषद् प्रस्ताव को ऐसी रीति से प्रकाशित करायेगी जैसी विहित की जाय और कोई हितबद्ध व्यक्ति अपनी आपत्तियों या सुझावों को ऐसे प्रकाशन के दिनांक से तीस दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।
- (5) आपत्तियों और सुझावों पर जो उपधारा (4) के अधीन प्राप्त हों, विचार करने के पश्चात् न्यास परिषद्, ऐसे प्रस्तावों पर, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों को और मन्दिर की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसे आदेश पारित करेगी जिसे वह उचित समझे।
- (6) उपधारा (5) के अधीन पारित आदेश की एक प्रति विहित रीति से प्रकाशित की जायेगी।
- (7) उपधारा (5) के अधीन आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार को अपील कर सकता है और ऐसी अपील पर पारित आदेश अन्तिम होगा।
- (8) उपधारा (5) के अधीन निश्चित व्ययमान का समय—समय पर पुनरीक्षण किया जा सकता है, और उपधारा (1) से (5) के उपबन्ध ऐसे पुनरीक्षण पर, यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।
- (9) तत्समय प्रवृत्त व्ययमान मन्दिर निधि पर प्रथम प्रभार होगा और उपर्युक्त के सिवाय उसमें परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
- 25— (1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में उस वर्ष के लिए प्राक्कलित आय और व्यय का (जिसे आगे बजट कहा गया है) एक विवरण-पत्र न्यास परिषद् को ऐसी रीति से प्रस्तुत करेगा, जैसी विहित की जाय और न्यास परिषद् उपान्तर के बिना या ऐसे उपान्तर के साथ जिसे वह उचित समझे, बजट का अनुमोदन कर सकती है।
 - (2) प्रत्येक बजट में निम्नलिखित के लिये पर्याप्त व्यवस्था होगी —

बजट

- (एक) मन्दिर में विग्रह की पूजा, सेवा, कर्मकाण्ड, समारोह और अन्य धार्मिक अनुष्ठान का उचित सम्पादन;
- (दो) मन्दिर के समस्त दायित्वों का सम्यक् निर्वहन;
- (तीन) काम चलाऊ बचत पूंजी और आरक्षित निधि का अनुरक्षण;
- (चार) तीर्थ यात्रियों, पूजा करने वालों या मन्दिर में हितबद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुविधा के लिये किया जाने वाला प्रबन्ध;
- (पांच) मन्दिर और उससे सम्बद्ध भवनों का निर्माण, मरम्मत और सुधार; और
- (छ:) ऐसे अन्य विषय, जो विहित किये जायं।
- (3) न्यास परिषद् के अनुमोदन के पश्चात् बजट राज्य सरकार को ऐसे दिनांक के पूर्व जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त निश्चित किया जाय, प्रस्तुत किया जायेगा।
- (4) बजट स्वीकृत करने के पूर्व राज्य सरकार अपना यह समाधान करेगी कि विहित काम चलाऊ बचत पूंजी के अनुरक्षण और मन्दिर और उसके विन्यासों के समस्त दायित्वों को पूरा करने के लिये बजट में पर्याप्त व्यवस्था की गयी है और राज्य सरकार को बजट के किसी भाग का उपान्तर करने के शक्ति होगी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी व्यवस्था की गयी है।
- (5) राज्य सरकार का बजट को स्वीकृत करने वाला विनिश्चय मुख्य कार्यपालक अधिकारी को ऐसे दिनांक तक संसूचित किया जायगा जो विहित किया जाय और उसके अभाव में यह समझा जायगा कि राज्य सरकार के द्वारा बजट किसी उपान्तर के बिना स्वीकृत कर दिया गया है।
- (6) न्यास परिषद् के लिये यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह कोई व्यय करे जो बजट में स्वीकृत नहीं है या जो बजट में व्यवस्थित किसी धनराशि को परिवर्तित करने का प्रभाव रखता है।
- (7) जब किसी नई सेवा के लिये जिसकी प्रकल्पना बजट में नहीं की गयी है, अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता उत्पन्न हो, तब मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रस्तावित व्यय का अनुपूरक प्राक्कलन प्रस्तुत

करेगा और उपधारा (1) से (6) के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित ऐसे अनुपूरक प्राक्कलन पर लागू होंगे।

(8) यदि कोई व्यक्ति मन्दिर की सम्पत्ति की आमदनी से कोई भुगतान किसी रूढ़ि या प्रथा के आधार पर या अन्यथा किसी हित के कारण पाने का हकदार है जो उसे मन्दिर के कार्यों के प्रशासन में है तो ऐसा भुगतान उपधारा (2) में विर्निदिष्ट विषयों के बारे में अपेक्षित व्यय को यथाविधि पूरा करने के बाद किया जायगा और ऐसा भुगतान करने में आवश्यक समानुपातिक समायोजन भी किया जा सकता है।

नियमित लेखा का रखा जाना

न्यास परिषद् नियमित लेखा ऐसे प्रपत्र में जिसे राज्य सरकार अनुमोदित करे और ऐसे विवरण सहित, जो विहित किया जाय, रखवाएगी।

लेखा परीक्षा

- 27— (1) प्रति वर्ष या यदि राज्य सरकार किसी मामले में ऐसा निदेश दे तो उससे कम अवधि में भी ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, लेखा की परीक्षा करायी जायगी।
 - (2) ऐसी लेखा परीक्षा राज्य सरकार द्वारा या उसके निदेश के अधीन नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा की जायगी।
 - (3) ऐसी लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक और लेखा परीक्षा का व्यय मन्दिर निधि से राज्य सरकार के द्वारा वसूल किया जायगा।
 - (4) मन्दिर के कार्यों के प्रशासन से सम्बद्ध सभी व्यक्तियों का यह कर्त्तव्य होगा कि वे लेखा परीक्षकों के समक्ष ऐसे सभी लेखा, अभिलेख और दस्तावेज प्रस्तुत करें या करायें और उनकी ऐसी सभी सूचनायें प्रस्तुत करें जो अपेक्षित हों, और उनको ऐसी सभी सहायता और सुविधायें प्रदान करें जो लेखा परीक्षा के लिये आवश्यक हों।
 - (5) लेखा परीक्षा को पूरा करने के पश्चात् लेखा परीक्षक एक आख्या, जिसमें ऐसे विवरण होंगे जो विहित किये जायं, मुख्य कार्यपालक अधिकारी को प्रेषित करेगा और ऐसी आख्या की प्रति राज्य सरकार को भी प्रेषित करेगा।
 - (6) लेखा परीक्षक के द्वारा इंगित त्रुटियों और अनियमितताओं को इस निमित्त विनिर्दिष्ट समय के भीतर ठीक किया जायगा और उसकी आख्या राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायगी।

 (1) यदि धारा 27 की उपधारा (6) के अधीन प्राप्त अनुपालन आख्या पर विचार करने के पश्चात्, और ऐसी जांच करने के पश्चात् जो आवश्यक हो, राज्य सरकार का विचार है कि न्यास परिषद के किसी सदस्य ने या किसी अन्य व्यक्ति ने कोई अवैध, अनियमित या अनुचित व्यय किया है या उपेक्षा या दुराचार से मन्दिर के धन या अन्य सम्पत्ति की हानि की है या उसे बरबाद किया है तो वह न्यास परिषद के ऐसे सदस्य को या सम्बन्धित अन्य व्यक्ति को नोटिस जारी कर सकती है कि वह कारण दर्शित करे कि उसके विरुद्ध अधिभार का आदेश क्यों न पारित किया जाय और उसके स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् आदेश द्वारा, इस प्रकार व्यय की गयी धनराशि को या इस प्रकार हानि पहुंचाई गयी या बरबाद की गयी सम्पत्ति की धनराशि या मूल्य को प्रमाणित कर सकती है और निदेश दे सकती है कि ऐसी धनराशि की वसूली उससे व्यक्तिगत रूप से की जाय।

- (2) उपधारा (1) के अधीन न्यास परिषद् के सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध पारित अधिभार के आदेश से लेखा या किसी अन्य विषय के लिये जिसका निस्तारण ऐसे आदेश द्वारा अन्तिम रूप से नहीं किया गया है, वाद संस्थित करने में रुकावट नहीं होगी।
- (3) अधिभार की धनराशि को इस प्रकार वसूल किया जा सकता है मानो वह भू-राजस्व का बकाया हो।

सम्पत्ति के अर्जन 29— या अन्तरण सम्बन्धी उपबन्ध

- (1) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई स्थावर सम्पत्ति मन्दिर के लिए और उसकी ओर से अर्जित नहीं की जायगी और मन्दिर की या उसके किसी प्रयोजन के लिए विन्यस्त किसी स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण नहीं किया जायगा।
- "(2) मन्दिर के कब्जा में किसी आभूषण या अन्य मूल्यवान सम्पत्ति या खराब न होने वाली जंगम सम्पत्ति का अन्तरण निम्नलिखित की स्वीकृति के बिना नहीं किया जायगा,—
- (क) अध्यक्ष, कार्यपालक समिति की स्वीकृति के, जहाँ सम्पत्ति का मूल्य एक लाख रुपये तक हो,
- (ख) कार्यपालक समिति की स्वीकृति के, जहाँ सम्पत्ति का मूल्य एक लाख रुपये से अधिक किन्तु दो लाख पचास हजार रुपये से अनिधक न हो.
- (ग) न्यास परिषद की स्वीकृति के, जहाँ सम्पत्ति का मूल्य दो लाख पचास हजार रुपये से अधिक किन्तु पाँच लाख रुपये से अनिधक हो,

¹⁻ उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर (संशोधन) अधिनियम ²⁰¹³ (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2013) द्वारा प्रतिस्थापित।

- (घ) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन और न्यास परिषद् की स्वीकृति के, जहाँ सम्पत्ति का मूल्य पाँच लाख रुपये से अधिक हो।''
- (3) राज्य सरकार उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई स्वीकृति प्रदान तब तक नहीं करेगी जब तक उसका यह विचार न हो कि सौदा मन्दिर के लिये आवश्यक या लाभदायक है और उसका प्रतिफल युक्तिसंगत और उचित है।
- (4) स्थावर सम्पत्ति के अर्चन या अन्तरण के लिये कोई प्रस्ताव ऐसे प्रपत्र में और ऐसे विवरण सहित प्रस्तुत किया जायगा जैसा विहित किया जाय।
- (5) राज्य सरकार अपना विनिश्चय ऐसे प्रस्ताव की प्राप्ति के दिनांक से तीन मास के भीतर मुख्य कार्यपालक अधिकारी को संसूचित करेगी और यदि कोई विनिश्चय ऐसी अवधि में संसूचित नहीं किया जाता है तो यह समझा जायगा कि प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया गया है।

धन उधार लेने पर 30-निर्बन्धन मन्दिर के लिए और उसकी ओर से कोई धन राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी व्यक्ति से उधार नहीं लिया जायगा।

संविदा 31-

इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी मन्दिर के लिए और उसकी ओर से सभी संविदाओं को निष्पादित और हस्ताक्षरित करेगा और सभी क्रय करेगाः

परन्तु किसी कार्य के निष्पादन या कोई आपूर्ति करने के लिए संविदा के प्रसंग में जिसकी धनराशि या मूल्य दस हजार रुपये से अधिक हो, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।

अध्याय — पांच निरीक्षण

निरीक्षण कराये जाने 32-के बारे में राज्य सरकार की शक्ति

- (1) राज्य सरकार को मन्दिर के प्रशासन और वित्त से सम्बन्धित किसी विषय के बारे में निरीक्षण या जांच, ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसे वह उचित समझे, कराने का अधिकार होगा।
- (2) यदि राज्य सरकार विनिश्चय करे कि उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच करायी जाय तो वह न्यास परिषद् को सूचना देगी और न्यास परिषद् के द्वारा नाम निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को ऐसे निरीक्षण या जांच के समय उपस्थित रहने और तदैव सुने जाने का अधिकार होगा।
- (3) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच कराने के लिए नियुक्त व्यक्ति को सिविल न्यायालय की समस्त शक्ति प्राप्त होगी जो उसे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन वाद का परीक्षण करते समय शपथपूर्वक साक्ष्य लेने, और साक्षियों की उपस्थिति बाध्य करने और दस्तावेजों और भौतिक पदार्थों की प्रस्तुतीकरण के लिए विवश करने के प्रयोजनार्थ प्राप्त है।
- (4) राज्य सरकार ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम को ऐसे निदेशों सहित जो वह उचित समझे, न्यास परिषद् को संसूचित करेगी।
- (5) न्यास परिषद् उपधारा (4) के अधीन दिये गये निदेशों का अनुपालन करेगी और ऐसे समय में जिसे राज्य सरकार नियत करे, उसे इस निमित्त कृत कार्यवाही की आख्या प्रस्तुत करेगी।

निदेश देने की शक्ति 33-

राज्य सरकार इस अधिनियम से उत्पन्न होने वाले या सम्बन्धित विषयों के बारे में ऐसे निदेश दे सकती है जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों से असंगत न हो और जिन्हें वह उचित समझे और ऐसे निदेशों का अनुपालन करना न्यास परिषद् का कर्त्तव्य होगा।

अध्याय — छ:

शास्ति

मन्दिर सम्पत्ति का 34-कब्जा लिये जाने में प्रतिरोध या अवरोध के लिये दण्ड

जो कोई धारा 13 की उपधारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है या इस अधिनियम के अधीन न्यास परिषद् या मुख्य कार्यपालक अधिकारी के द्वारा या प्राधिकार के अधीन कब्जा लिये जाने में साशय प्रतिरोध या अवरोध उत्पन्न करता है या कराता है, वह कारावास से जो एक वर्ष तक हो सकता है या जुर्माना से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

न्यास परिषद् के 35-कतिपय निदेशों के उल्लंघन के लिये दण्ड

जो कोई धारा 15 के खण्ड (ग) के अधीन दिये गये किसी निदेश का उल्लंघन करता है, वह कारावास से, जो छः मास तक हो सकता है, या जुर्माना से, जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दण्डनीय होगा।

अध्याय – सात

पंकीर्ण

लोक सेवक होंगे

मन्दिर के कर्मचारी 36-- न्यास परिषद् या कार्यपालक समिति के सदस्य, मुख्य कार्यपालक अधिकारी और मन्दिर का कर्मचारी जब इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन कार्य कर रहा हो या कार्य करने का अभिप्राय रखता हो, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जायेगा।

37-प्रशासन आख्या

- (1) न्यास परिषद् प्रतिवर्ष राज्य सरकार को मन्दिर के कार्यों के प्रशासन के बारे में आख्या ऐसे समय पर प्रस्तुत करेगी जो राज्य सरकार अवधारित करे।
- (2) इस धारा के अधीन तैयार की गयी आख्या विहित रीति से प्रकाशित की जायेगी और यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायगी।

कुछ मामलों में दायित्व से छूट 38— न्यास परिषद् या कार्यपालक समिति के किसी सदस्य या मुख्य कार्यपालक अधिकारी या मन्दिर के कर्मचारी के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन सद्भावनापूर्वक किए गए या करने का अभिप्राय रखने वाली किसी बात के लिए नहीं लाया जायेगा या लायी जायेगी।

अभिलेख मंगाने की 39— राज्य सरकार की शक्ति

राज्य सरकार मन्दिर के कार्य से सम्बन्धित किसी मामले या अभिलेख मंगा सकती है और उसका परीक्षण कर सकती है और यदि सन्तुष्ट हो कि न्यास परिषद्, कार्यपालक समिति, मुख्य कार्यपालक अधिकारी या मन्दिर के किसी कर्मचारी का कोई आदेश या विनिश्चय इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार नहीं है तो ऐसा आदेश दे सकती है जिसे वह उचित समझे।

लोक अधिकारी द्वारा प्रतिलिपि या उद्धरण दिया जाना

40— सभी लोक अधिकारी जिनकी अभिरक्षा में मन्दिर सम्बन्धी कोई अभिलेख, रिजस्टर, आख्या या अन्य दस्तावेज या उसकी कोई जंगम या स्थावर सम्पत्ति हो, न्यास परिषद् या कार्यपालक समिति या मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा यथा अपेक्षित प्रतिलिपि या उद्धरण देंगे।

तलाशी और 41-अधिग्रहण

- 41— (1) इस अधिनियम के अधीन किसी सम्पत्ति, द्रव्य, मूल्यवान वस्तु, आभूषण, अभिलेख, दस्तावेज या भौतिक पदार्थ का कब्जा लेने के दौरान मुख्य कार्यपालक अधिकारी को किसी परिसर में किसी युक्तिसंगत समय पर प्रवेश करने और उसकी तलाशी लेने या लिवाने की शक्ति होगी।
 - (2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तलाशी और अभिग्रहण सम्बन्धी उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित इस अधिनियम के अधीन ली जाने वाली तलाशी और अभिग्रहण पर लागू होंगे।

वर्तमान सम्पत्ति का उपयोग 42— नियत दिनांक के ठीक पूर्व मन्दिर और उसके विन्यास की या उसके अंगीभूत समस्त सम्पत्ति और आस्तियों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाता रहेगा जिसके लिए उनका उपयोग किया जा रहा था या ऐसे दिनांक को या उसके पश्चात् उपयोग किये जाने का आशय था। अपवाद

43— इस अधिनियम की किसी बात से कोई व्यक्ति किसी सक्षम अधिकारितायुक्त न्यायालय में किसी अधिकार को जिसका दावा वह कर रहा हो, स्थापित करने के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही करने से प्रवारित नहीं होगा।

की शक्ति

किनाई दूर करने 44— यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि के भीतर, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

शक्ति

नियम बनाने की 45— राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

शक्ति

विनियम बनाने की 46— इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गए नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, न्यास परिषद् अपने कार्यों के संचालन से सम्बन्धित किसी विषय के लिए या किसी अन्य विषय के लिए जिसके लिए विनियम बनाये जा सकते हैं, इस अधिनियम के अधीन विनियम बना सकती है।

निरसन और अपवाद

47— (1) उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर (तृतीय) अध्यादेश, 1983 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उ०प्र० अध्यादेश सं. 20 सन् 1983 (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

> आज्ञा से. गंगा बख्श सिंह सचिव।



No. 2899(2)/XVII-V-1-1(Ka)--1983

Dated Lucknow, October 13, 1983

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sri Kashi Vishwanath Mandir Adhiniyam, 1983 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 29 of 1983) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President of India on October 12, 1983.

THE UTTAR PRADESH SRI KASHI VISHWANATH TEMPLE ACT, 1983 [U. P. ACT NO. 29 OF 1983] (As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to provide for the proper and better administration of Sri Kashi Vishwanath Temple, Varanasi and its endowments and for matters connected therewith or incidental thereto IT IS HEREBY enacted in the Thirty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER 1 Preliminary

Short title and 1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Sri Kashi Vishwanath temple Act, 1983.

- (2) It shall be deemed to have come into force on January 28, 1983.
- Overriding effect of 2. The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything to the Act the contrary contained in any other law, for the time being in force or custom or usage, contract, deed or engagement, judgement, decree or order of any court or scheme of management settled by any court.
- Functionaries under 3.

 No person shall, unless he is Hindu by religion, be eligible for being or continuing as a member of the Board or Executive Committee or as Chief Executive Officer or as an employee of the Temple and any person shall cease to hold office or to exercise any power or discharge any function as such when he ceases to be a Hindu.

Definitions

4.

- In this Act, Unless the context otherwise requires—

 (1) "appointed date" means such date as the State Government may by notification, appoint;
- (2) "archaka" means any person who performs or conducts any worship, service, ritual or other religious observances in the Temple and includes a Pujari, Panda, Purohit or Sewak;
- (3) "Board" means the Board of Trustees constituted under section 6;
- (4) "Chief Executive officer"means the Chief Executive officer appointed under section 16;

- (5) "Endowment" means all properties movable or immovable, belonging to or given or endowed for the support or maintenance or improvement of the Temple or for the performance of any worship, service, ritual, ceremony or other religious observance in the Temple or any charity connected therewith and includes the idols installed there in the premises of the Temple and gifts of property made or intended to be made for the Temple or the deities installed there in any one within the precincts of the Temple;
- (6) "Executive Committee" means the Executive Committee constituted under section 19;
- (7) "Prescribed" means prescribed by rules made or notified order issued by the State Government under this Act;
- "Religious offering" means an offering made within the precincts of the Temple or otherwise, whether in cash or kind, associated with the performance or conduct of, any worship, service, ritual, ceremony or religious observance in the Temple and includes postal or telegraphic remittances or cheques or bank drafts intended or meant to be an offering for use as such in the Temple;
- (9) "Temple" means the Temple of Adi Vishweshwar, popularly known as Sri Kashi Vishwanath Temple, situated in the City of Varanasi which is used as a place of public religious worship and dedicated to or for the benefit of or used as of right by the Hindus, as a place of public religious worship of the Jyotirlinga and includes all subordinate temples, shrines, subshrines and the ashthan of all other images and deities, mandapas, wells, tanks and other necessary structures and land appurtenant thereto and additions which may be made thereto after the appointed date;
- (10) "Temple Fund" means the Temple Fund constituted under section 23,

CHAPTER II

The Board of Trustees

Vesting of the Temple 5. and its endowments.

6.

The ownership of the Temple and its endowments shall vest in the deity of Sri Kashi Vishwanath.

Constitution of the Board of Trustees

- (1) With effect from the appointed date, the administration and governance of the Temple and its endowments shall vest in a Board to be called the Board of Trustees for Sri Kashi Vishwanath Temple;
- (2) The Board of Trustees shall consist of the following members, namely:—
 1"(a) The President of the Board shall be a non-official Hindu well versed in Hindu theology, and having good Knowledge and experience in the management and administration of the affairs of Sri Kashi Vishwanath Temple and any worship, service, ritual of religious observance made therein to be nominated by the State Government"
 - (b) Sri Jagadguru Sankaracharya of Sringeri;
 - (c) Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Department of Cultural Affairs —Ex officio;
 - (d) Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Department of Finance —Ex officio;

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(1)

7.

8.

Term of office

Power of the State

remove a member

Government to

of the Board

1"(e) Secretary, to the Government of Uttar Pradesh in the Department of Harijan and Social Welfare --Ex officio: (f) Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Judicial/Legislative Department by rotation in such manner as may be prescribed —Ex officio (g) "Deleted and "(h)", "(I)","(k)", and "(I)", bracket and letter amended as "(g)" "(h)" "(i)" "(j)" and "(k)" by Notification dated 13-1-1994 (h) Commissioner, Varanasi Division —Ex officio; (i) District Magistrate, Varanasi -Ex officio: (j)Vice-Chancellor, Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya Varanasi (k) Two local eminent persons having good knowledge and experience in the management and administration of the affairs of the temple and any worship, service, ritual or religious observance made therein, to be nominated by the State Government; (I) Three eminent Hindu scholars well-versed in Hindu theology, to be nominated by the State Government. In section 6 of the Principal Act in sub section (2) after clause (k) the following clause shall be inserted namely:--Ex officio; (I) The Chief Executive Officer (amended by notification dated October 6. 1989 Where a member of the Board cannot perform his duties as such by reason of the fact that he is not a Hindu, the person available next below him shall be a member of the Board for the time being. The Board shall be a body corporate having perpetual succession and may sue or be sued by the name aforesaid. The constitution of the Board and every change therein shall be notified by the State Government. 2"The President or any member" of the Board, other than an ex officio member, shall hold office for a period of three years from the date of notification of his nomination: Provided that the member specified in 3"[***] clause (b) of sub-section (2) of section 6 shall hold office for his life-time; Casual vacancies in the office of 4"The President or a member" of the Board, caused by death, resignation, removal or otherwise, shall be filled in the same manner as specified in section 6. The State Government may remove 5 The President or any member of the Board other than 6[***] an ex officio member on the ground of unfitness or misconduct. 1. Substituted by U.P. Act no. 25 of 1986 2. Substituted by U.P. Act no. 3 of 2003

Omitted by U.P. Act no. 3 of 2003
 Substituted by U.P. Act no. 3 of 2003
 Inserted by U.P. Act No. 3 of 2003
 Omitted by U.P. Act no. 3 of 2003

- (2) 1"The President or any" member of the board shall 2"not" be removed under this section unless he has been given a reasonable opportunity of showing cause against his removal.
- (3) The decision of the State Government under this section shall be final and shall not be liable to be questioned in any Court of law.

Meetings of the Board

9.

- (1) The Board shall ordinarily meet once in every quarter on such date and at such time and place as the Board may determine or, as the case may be, the President may direct.
- (2) At every meeting of the Board, the President, or in his absence, such member, as may be determined by the Board, shall preside.
- (3) A member specified in clause (b) or sub-section (2) of section 6 may authorize in writing any person who is a Hindu and a member specified in clause (c) or clause (d) or clause (e) or clause (f) of that sub section may, if he is unable to attend of the Board, likewise authorize an officer not below the rank of Joint Secretary in his department to attend such meeting, the proceedings of the meeting and shall also have the right to vote.
- (4) No business shall be transacted at any meeting of the Board, unless at least five members including persons or officers authorized under sub section (3) are present. (Amended by notification dated October 6, 1989)
- (5) The Board shall follow such procedure for the transaction or business. as may be determined by the regulations
- (6) All questions arising at a meeting of the Board shall be decided by a majority of the members present and voting and in the case of equality of votes, the President shall have a casting vote.
- (7) The Chief Executive Officer, who shall be the Secretary of the Board, shall be responsible for the due record and maintenance of the minutes of the proceedings of the Board and shall submit a copy of the minutes to the State Government for information.

Authentication of the 10. acts and Proceedings of the Board.

All orders and decisions of the Board and the record of acts and proceedings of the Board shall be authenticated by the signature of the President or if so authorised by the Board, by the signature of the Chief Executive Officer.

Power of the Board to 11. act not with standing vacancy.

12.

13. (1)

No act or proceeding of the Board shall be invalid merely by reason of the existence of any vacancy or defect in the constitution of the Board.

Allowance to members of the Board.

The State Government may, by order, from time to time direct the payment of such allowances in such manner and at such time, out of the Temple Fund to the President or members of the Board, as may be determined by it.

Board to be in Possession of the Temple and its properties. The Board shall be entitled to take and be in possession of all movable and immovable properties, cash, valuables, jewelleries, records,

- 1. Substituted by U.P. Act no. 3 of 2003
- 2. Inserted by U.P. Act no. 3 of 2003

- documents, material objects and other assets belonging to or forming part of the Temple and its endowments.
- (2) Every person who has possession, custody or control of any such movable or immovable property, cash, valuable, jewellery, record, document, material, object or other asset, as aforesaid shall, subject to all just exceptions, produce and deliver the same, when required, under this Act, to the Chief Executive Officer.

Duties of the Board 14.

- Subject to the provisions of this Act and any rules made there under it shall be the duty of the Board—
- (a) To arrange for the due and proper performance of worship, service and rituals, daily or periodical, general or special, of Sri Kashi Vishwanath and other deities in the Temple, ceremonies and other religious observances in accordance with the Hindu Shastras and scriptures and usage;
- (b) To ensure maintenance of public order, health and morality, including arrangement for lighting, hygienic conditions and proper standard of cleanliness in the Temple;
- (c) To ensure the safe custody of the funds, cash, valuables, jewelleries and other properties of the Temple
- (d) To make adequate arrangements for the preservation and management of the properties and secular affairs of the Temple;
- (e) To ensure that the funds of the endowments are spent according to the wishes, so far as may be known or ascertained, of the doners;
- (f) To provide facilities for the proper performance of worship by the pilgrims and worshippers;
- (g) To make provision for the convenience and medical facitilies for pilgrims and worshippers;
- (h) To undertake for the benefit of the pilgrims and worshippers—
 - (i) The construction of buildings for their accommodation
 - (ii) The construction of sanitary works;
 - (iii) The improvement of means of communication;
 - (iv) Such other matters as may be prescribed;
- (i) To make provision for the payment of suitable emoluments to the salaried staff
- 1"(j) To distribute free of cost the Bhasma made out of Belpatra etc. received in temple's offerings among devotees;
- (k) To do research related to Vedic Culture, to provide opportunities related to research, to setup cost free research centers, to organize free of cost education classes, to establish cost free technical education for uniting Vedic Culture with technical education and to provide opportunities for employment, to introduce welfare schemes for the society' with the help

Substituted by The Uttar Pradesh Shri Kashi Vishwanath Temple (Amendment) Act 2003 (U.P. Act no 12 of 2013)

- of organization having similar objectives and to open schools for Vedic Culture's education;
- To open and Organize free of cost medical centres for poor, weak and helpless devotees;
- (m) To provide free of cost facilities of Annakshetra for devotees;
- (n) To open and provide free of cost lodging place for devotees; arrange free of cost stay and also setup research centers relating to Vedic Culture and technical education;
- To arrange and distribute free of cost Prashaad distribution amongst devotees, to distribute clothes etc. and other ingredients received in offerings among poor and helpless people;
- (p) To publish and distribute free of cost magazines for awareness to fulfill the object of the trust and organized seminars and Meetings;
- (q) To do all such things as may be incidental and conducive to the efficient management of the affairs of Temple and its endowments, and the convenience of the pilgrims and worshippers.

Powers of the Baard

15.

- The Board shall exercise all such powers, as are necessary for or incidental to the performance of its duties and functions under this Act and in particular shall have power—
- (a) To fix fees for the performance of any Worship, service, ritual, ceremony or religious observance in the Temple;
- (b) To call for such information and accounts as may, in its opinion be necessary for satisfying itself that the Temple and its endowments are properly maintained and administered and their funds are duly appropriated for the purposes for which they exist or were founded;
- (c) To prohibit within the premises of the Temple or within such area belonging to the Temple, as may be specified in this behalf—
 - sale, possession, use or consumption of any intoxicating liquor or drug;
 - (ii) sale; possession, preparation or consumption of non-veg other food stuffs containing non-veg;
 - (iii) slaughter, killings, maiming of any animal or bird for any purpose;
 - (iv) gaming with cards,-dice, counter, money or other instruments of gaming;
- (d) To do or direct the doing of such other things as may be prescribed.

CHAPTER III

The Temple Establishment

Officers of the temple

- 1'16. (I) The State Government shall appoint for the Temple a Chief Executive Officer and may appoint such other Officer or officers as it may consider necessary.
 - Substituted by The Uttar Pradesh Shri Kashi Vishwanath Temple (Amendment) Act 1997 (U.P. No. 15 of 1997)

- (2) The conditions of service; including the qualifications for appointment and the salary and allowances payable to the officers appointed under sub-section
 - (1) shall be such as may be determined by the State Government:

 Provided that the rights of such officers in respect of salary and other conditions of service shall not be varied to their disadvantage after their appointment.'

powers and duties of the Chief Executive Officer.

- 17. (1) The Chief Executive Officer shall be the principal Executive Officer of the Temple and shall, subject to the control of the Board, be responsible for the management of the secular affairs of the Temple and its endowments.
 - (2) Subject to the provisions of this Act and the rules made there under, it shall be duty of the Chief Executive Officer—
 - (a) To carry out the decisions and orders of the Board and the Executive Committee in accordance with the provisions of this Act;
 - (b) To arrange for the proper collection, maintenance and disposal of the religious offerings in the Temple and to keep a full and proper account thereof;
 - (c) To have custody of and make suitable arrangement for the preservation and maintenance of all records, jewelleries, valuables, moneys, valuable securities and properties of the Temple;
 - (d) To record and maintain the minutes of proceedings of the Board;
 - (e) To call for tenders for works or supplies and to accept tenders the value or amount where of does not exceed five thousand rupees;
 - (f) To exercise control over the employees of the Temple and take appropriate action against them in cases of breach of discipline;
 - (g) To do all such things as may be required for the due performance of his duties imposed by or under this Act.

Powers of the Chief Executive Officer in emergency

18. (1)

- In case of emergency, the Chief Executive Officer may direct the execution of any work or the doing of anything which is not provided for in the budget for the year or which is, in his opinion, immediately necessary and unavoidable for the preservation of the Temple or its endowments or for the health, safety or convenience of the pilgrims or worshippers resorting to the Temple or for the due performance of the worship, service, rituals, ceremonies or observances in the Temple and may further direct that the expenses of the execution of such work or the doing of such thing shall be paid out of the Temple Fund.
- (2) The Chief Executive Officer shall forthwith report to the Board and the Executive Committee the action taken under this section together with a state-ment of the reasons for such action and thereupon the Board shall take such action, after taking into account the recommendations of the Executive Committee, as it deems fit.

Executive Committee 19. (1) There shall be an Executive Committee which shall, subject of the directions of the Board or the State Government, be responsible for the

superintendence, direction and control of the affairs of the Temple.

- (2) The Executive Committee shall consist of the following members namely—
 - (a) Commissioner, Varanasi Division

—Chairman

(b) District Magistrate, Varanasi

---Member

- (c) Senior Superintendent of Police, Varanasi Member
- (d) Administrator/Mukhya Nagar Adhikari, Nagar Mahapalika, Varanasi —Member
- (e) Members of the Board specified in clause (j) of sub-section(2) of section 6 —Member ex officio
- (f) Chief Executive Officer —Member-Secretary.
- (3) Where a member of the Executive Committee cannot perform his duties as such by reason of the fact that he is not a Hindu, the person, available next below him, shall serve on the Committee.
- (4) The Executive Committee shall have power to co-opt as member any, other suitable person, not more than two in number, for the discharge of its functions.
- (5) The Executive Committee shall exercise such powers and perform such functions as are conferred on it by or under this Act or are assigned to it by the Board.

Provisions as to the 20. existing employees of the temple.

- (1) The Chief Executive Officer shall, as soon as may be, prepare schedule setting forth the designations, grades and duties of persons constituting the establishment of the Temple.
- (2) In preparing the schedule referred to in sub-section (1), the Chief Executive Officer shall, in relation to the nature of interest claimed by any person give recognition and effect to any judgment, decree or order of a court or custom or usage relating to the Temple.
- (3) The schedule referred to in sub-section (1), together with the proposals of the Chief Executive Officer with regard to the salaries or allowances payable to the persons specified in the schedule, shall be submitted to the Board and such schedule shall, subject to any changes or modifications made therein, come into force on approval by the Board and such persons shall be entitled to such conditions of employment as may be prescribed.

Temple staff

- 21 (1) Subject to any rules made in this behalf, the Board or as the case may be, the Chief Executive Officer may appoint such employees with such designations as may be prescribed and assign to them such powers and such functions as may be deemed necessary for the purpose of this Act.
 - (2) The employees shall be entitled to such salary and allowances and shall be governed by such conditions of service including conditions as to qualifications and method of recruitment, as may be prescribed.
 - (3) No employee shall be removed from service unless he has been given reasonable opportunity of being heard.

Archaka

22. (1) Every archaka attached to or serving in the Temple shall be responsible for the proper performance and conduct of worship, service, rituals,

ceremonies and other religious observances in the Temple and other general or special, daily or periodical services connected therewith and the Board or the Executive Committee or the Chief Executive Officer or any other employee Of the. Temple shall not interfere with the discharge of the duties by the archaka as such.

(2) The archaka shall be entitled to such remuneration for his services as may be agreed upon between him and the Board and failing such agreement, as may be determined in accordance with the rules made in this behalf and shall not be entitled to any other perquisites or emoluments, save as permitted by or order this Act.

CHAPTER IV

Property and Accounts

Temple Fund

- 23 (1) There shall be constituted a Fund to be called "Sri Kashi Vishwanath Temple Fund" which shall be vested in and administered by the Board, and shall consist of the following, namely—
 - (a) The income derived from the movable and immovable properties, of the Temple
 - (b) The religious offerings made or intended to be made to the deity of Sri Kashi Vishwanath or any other deity in the Temple;
 - (c) Any contribution by the State Government either by way of grant or by way of loan;
 - (d) Any donation or charity made by a person in or for the Temple;
 - (e) Any other gift or contribution made by the public, or local authorities or institutions;
 - (f) All fines and penalties imposed under the Act;
 - (g) All recoveries made under the Act.
 - (2) The Temple Fund shall be utilized for the purposes required or permitted by or under this Act.
 In section 23rd of the Principal Act after subsection (2) the following:

In section 23rd of the Principal Act after subsection. (2) the following Sub Section shall be inserted namely.

(3) "Without prejudice to any other mode of recovery available any liquidated amount of money due to the Deities Board of Temple fund shall on the certification of the chief Executive officer be recoverable as arrears of land revenue."

(Amended by notification dated October 6, 1989)

Fixation or scale of expenditure on rites or ceremonies.

24.

- (1) The Chief Executive Officer shall, within three months from the appointed date, submit proposals for fixing the scale of expenditure in the Temple and the amounts which should be allotted to the various objects connected with the Temple.
- (2) Such proposals shall be prepared after consultation with the archaks and having due regard to the requirements of worship or offerings in connection with the performance of the general or special, daily or periodical services, rituals, ceremonies or other religious observances according to the usage or otherwise,
- (3) The proposals referred to in sub-section (1) shall be submitted in such form and manner, as may be prescribed, to the Board.
- (4) The Board shall cause the proposal to be published in such manner, as may be prescribed, and any person interested may submit the

- objections or suggestions within a period of thirty days from the date of such publication.
- (5) After considering the objections and suggestions, which may be received under sub-section (4), the Board shall pass such orders, as it thinks fit, on such proposals, having regard to the objects specified in sub-section (2) and the financial position of the Temple.
- (6) A copy of the order passed under sub-section (5) shall be published in the prescribed manner.
- (7) Any person aggrieved by an order under sub-section (5) may appeal against such order to the State Government and the order passed on such appeal shall be final.
- (8) The scale of expenditure; fixed under sub-section (5), may be revised from time to time, and the provisions of sub-sections (1) to (5) shall, mutatis mutandis apply to such revisions.
- (9) The scale of expenditure for the time being in force shall be the first charge on the Temple Fund and save as aforesaid, shall not be altered.
- 25. (1) The Chief Executive Officer shall, in respect of every financial year, submit a statement of the estimated receipts and expenditure (here in after referred to as the Budget) for that year to the Board in such manner as may be prescribed and the Board may approve the budget without modification or with such modification as it thinks fit.
 - (2) Every budget shall make adequate provisions for—
 - (i) The proper performance of the worship of the deities, services, rituals, ceremonies and other religious Observances in the Temple;
 - (ii) The due discharge of all liabilities of the Temple;
 - (iii) The maintenance of a working balance and a reserve fund;
 - (iv) The arrangement to be made for securing the health, safety and convenience of the pilgrims, worshippers or persons having interest in the Temple;
 - (v) The constructions, repair and improvement of the Temple and the buildings connected therewith; and
 - (vi) Such other matters as may be prescribed.
 - (3) After the approval of the Board, the budget shall be submitted to the State Government for sanction before such date as may be fixed by the State Government in that behalf.
 - (4) Before sanctioning the budget, the State Government shall satisfy itself that adequate provision has been made in the budget for the maintenance of the prescribed working balance and for meeting all the liabilities of the temple and its endowments and the State Government shall have power to modify any part of the budget so as to ensure that such provisions are made.
 - (5) The decision of the State Government sanctioning the budget shall be communicated to the Chief Executive Officer by such date as may be prescribed, failing which it shall be deemed that the budget has been sanctioned by the State Government without any modification.
 - (6) It shall not be lawful for the Board to incur any expenditure which is not sanctioned in the budget or which will have the effect of varying the amount for any provisions made in the budget.
 - (7) When a need has arisen for supplementary or additional expenditure

Budget

Where any person is entitled to receive any payment out of the usage or otherwise on account of any interest which he has in the to him from the Temple Fund after making due allowance for the section (2) and necessary adjustment may be proportionately made in making such payments.

Regular account to 26. be kept

The Board shall cause regular accounts to be kept in such form as may be approved by the State Government and containing such particulars as may be prescribed.

Audit 27.

- (1) The accounts shall be audited annually, or if the State Government so directs in any case, at shorter intervals in such manner as may be prescribed.
- (2) Such audit shall be made by the auditors appointed by or under the direction of the State Government.
- (3) The remuneration of such auditors and the cost of audit shall be recoverable by the State Government from the Temple Fund
- (4) It shall be the duty of all persons concerned with the administration of the affairs of the Temple to produce or cause to be produced before the auditor all such accounts, records, and documents and to furnish them with all such information as may be required, and to afford them all such assistance and facilities as may be necessary for the audit.
- (5) After completing the audit, the auditor shall send a report containing such particulars, as may be prescribed, to the Chief Executive Officer and shall also send a copy of such report to the State Government
- (6) The defects or irregularities pointed out by the auditor shall be remedied within the time specified in this behalf and a report thereof shall be submitted to the State Government.

Surcharge

28. (1)

- Where on a consideration of the compliance report received under subsection (6) of section 27, and after such enquiry as may be necessary, the State Government thinks that a member of the Board or any other person has made any illegal, irregular or improper expenditure or has caused any loss or waste of money or other property of the Temple, by neglect or misconduct, it may issue notice to such member of the Board or other person concerned to show cause why an order of surcharge should not be passed against him and, after considering his explanation, if any, by order, certify the amount so spent or the amount or value of the property so lost or wasted and direct that such amount shall be recovered from him personally.
- (2) An order of surcharge, passed under sub-section (1) against a member of the Board or any other person, shall not bar a suit for accounts or any other matter not finally dealt with by such order.
- (3) The amount of surcharge may be recovered as if it were an arrear of land revenue.

Provisions as to acquisition or transfer of Property

- 29. (1) No immovable property shall be acquired for and on behalf of the Temple, nor any transfer of any immovable property belonging to or endowed for any purpose of the Temple shall be effected savewith the prior sanction of the State Government.
 - "No jewellery or other valuable property or movable property of a nonperishable nature which is in possession of the Temple shall be transferred except,-
 - (a) With the sanction of the Chairman of Executive Committee, wherein the value of the property is up to rupees one lakh,
 - (b) With the sanction of the Executive Committee, where the value of property exceeds rupees one lakh but does not exceed two lakh and fifty thousand,
 - (c) With the section of the Board, where the value of the property exceeds rupees two lakh and fifty thousand, but does not exceed rupees five lakh,
 - (d) With the previous approval of the State Government and the sanction of the Board, where the value of the property exceeds rupees five lakh,"

(1Substitued by U.P. Act No.-11 fo 2013)

- (3) The State Government shall not grant any sanction under sub-section (1) or sub-section (2) unless it considers that the transaction is necessary or beneficial to the Temple and the consideration therefore is reasonable and proper
- (4) Any proposal for acquisition or transfer of immovable property shall be submitted in such form and contain such particulars as may be prescribed.
- (5) The State Government shall communicate its decision to the Chief Executive Officer within three months from the date of receipt of such proposal and, if no decision is communicated within such period, it shall be deemed that proposal has been sanctioned.

Restriction on borrowing of money Contracts

30.

32. (1)

- No money shall be borrowed for and on behalf of the Temple from Any person save with the previous sanction of the State Government.
- 31. Subject to the provisions of this Act or the rules made there-under, all contracts shall be executed and signed by and all purchases shall be Made by the Chief Executive officer for and on behalf of the Temple:

Provided that in the case of a contract for the execution of any work or for any supplies, the amount or value of which exceeds rupees ten thousand, prior sanction of the State Government shall be necessary.

CHAPTER V

Power of the StateGovernment to cause inspections to be made.

The State Government shall have the right to cause inspection or enquiry to be made by such person, as it deems fit, in respect of any matter connected with the administration and finance of the Temple.

(2) Where the State Government decides to cause an inspection or inquiry to be made under sub-section (1), it shall inform the Board and any person nominated by the Board shall have the right to be present at such inspection or inquiry and to be heard as such.

- (3) The person appointed under sub-section (1) to inspect or inquire shall have all the powers of a Civil Court, while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908, for the purpose of taking evidence on oath and of documents and material objects.
- (4) The State Government shall communicate to the Board the result of such inspection or inquiry with such directions thereon as it thinks fit.
- (5) The Board shall comply with the directions issued under sub-section (4) and shall, within such time as the State Government may fix, submit to it a report of the action taken in this behalf.

Power to issue directions

33.

34.

35.

36.

38.

39.

The State Government may issue such directions, not being inconsistent with the provisions of this Act or the rules made there under, as It deems fit in respect of matters arising out of or connected with this Act and it shall be the duty of the Board to comply with such directions.

CHAPTER VI PENALTIES

Punishment for resistance or obstruction to taking possession of Temple property.

Whoever contravenes the provisions of sub-section (2) of section 13 or intentionally causes any resistance or obstructions in the obtaining of possession of any property by or under the authority of the Board or the Chief Executive Officer under this Act shall be punishable with imprisonment Which may extend to one year or with fine or with both.

Punishment for contravention of certain directions of the Board

Whoever contravenes any direction made under clause (c) of section 15 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to one thousand rupees or with -both.

CHAPTER VII MISCELLANEOUS

Temple functionaries to be public servants

The members of the Board, the Executive Committee, the Chief Executive Officer and an employee of the Temple, while acting or purporting to act, in pursuance of the provisions of this Act or the rules made there under shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.

Administration Report

- 37. (1) The Board shall annually submit to the State Government a report on the administration of the affairs of the Temple at such time as the State Government may determine.
 - (2) The report prepared under this section shall be published in the prescribed manner and shall, as soon as possible, be laid before both Houses of the State Legislature.

Exemption from liability in certain cases

No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Board or any member of the Board or Executive Committee or the Chief Executive Officer or an employee of the Temple for anything done or purporting to be done in good faith under this Act.

Public officer to furnish copies or extracts

The State Government may call for and examine the records of any case relating to the affairs of the Temple, and if satisfied that any order or decision of the board, Executive Committee, Chief Executive Officer

Power of the State Government to cal for records	e 40) .	or any employee of the Temple is not in accordance with the provisions of this Act or the rules made there under, may pass such order as it deems fit All public officers having custody of any record, register, report or other document relating to the Temple or any movable or immovable property document relating to the Temple or any movable or immovable property thereof shall furnish such copies or extracts of the same as may be required by the Board or the Executive Committee or the Chief Executive Officer. In taking possession of any property, cash, valuable, jewellery record, in taking possession of any property, cash, valuable, jewellery record, in taking possession of any property inder this Act, the Chief Executive Officer
Search and seizure	41	. (1)	shall have power to enter any premises at any reasonable time and shall have power to enter any premises at any reasonable time and shall have power to enter any search thereof.
		(2)	search and seizure shall induate in the search and search and seizure shall induate in the search and searc
Utilisation or existing properties	42		All properties and assets belonging to or forming part of the remple and its endowments immediately before the appointed date shall continue to be utilized for the purpose for which they were being utilized or were intended to be utilized on or after such date.
Savings	43.		Nothing in this Act shall preclude any person from instituting any suit or other legal proceeding in a court of competent jurisdiction to establish the right claimed by him.
Power to remove difficulties	44.		If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act the State Government may, within a period of two years from the commencement of this Act, make, by notified order, such provisions, not inconsistent with the provisions of of this Act, as appear to it necessary or expedient for removing the difficulty.
Power to make rules	45.		The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.
Power to make regulations	46.		Subject to the provisions of this Act and the rules made there under the Board may Make regulations for any matter relating to the conduct of its business or any other matter for which regulations may be made under this Act.
Repeal and savings	47.	(1)	The Uttar Pradesh Sri Kashi Vishwanath Temple (Third) Ordinance, 1983, is hereby repealed.
U.P. Ordinance No. 20 of 1983		(2)	Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance, referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under this Act as if the provisions of this Act, were inforce at all material times.

By order,